न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 18 / 2022	2022 / 27	27.01.2022	21.06.2022

–उनवान–

1. छीतरमल पुत्र भगवान सहाय।
2. छेवीसहाय पुत्र भगवान सहाय।
3. कैलाश चन्द पुत्र भगवान सहाय, जातियान ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम मण्डावरी, तहसील राजगढ़, जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कजोडमल पुत्र कन्हैयालाल।
2. हीरालाल पुत्र छीतरमल।
3. सुखराम पुत्र छीतरमल।
4. शान्तिदेवी पुत्री छीतरमल।
5. लिछमा देवी पुत्री छीतरमल, जातियान धौबी, निवासीयान ग्राम सकट, तहसील राजगढ़, जिला अवलर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री अजीत कुमार यादव **–वकील प्रार्थीगण**

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर तहसीलदार राजगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान कजोडमल व अन्य बनाम छीतरमल व अन्य को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद कजोडमल व अन्य बनाम छीतरमल व अन्य प्रकरण सं0 01 / 15 विचाराधीन है। जिसमें पेशी दिनांक 01.02.2022 नियत थी। अप्रार्थीगण चालाक व तिकडमबाज व्यक्ति है। अप्रार्थीगण को कई बार पीठासीन अधिकारी महोदय के चैम्बर आते–जाते देखा है। स्वंय अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से कहा की उसकी पीठासीन अधिकारी से बहुत पुरानी साठ–गांठ है। मैनें अपनी गोटी पीठासीन अधिकारी के साथ सैटिंग कर दी है। मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराकर रहेगें। प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 26.01.2022 दी गई। पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीगण के साक्ष्य लिए बिना ही प्रकरण को अंतिम बह समें नियत कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में आ गये है। जिन्होने कोविड का बहाना करते हुए पत्रावली पर दिनांक 05.06.2020 के बाद डायरेक्ट तारीख 13.01.2022 नियत की गई तथा इसके बाद गुपचुप में 25.1.2022 नियत की गई। अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस पेश करदी है। पीठासीन अधिकारी अब आनन–फानन में प्रकरण का निर्णय करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण रसूखदार होने के कारण प्रार्थी को मुकदमें में न्याय की उम्मीद नहीं है। यदि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी प्रभाव में लेकर कोई पक्षपातपूर्ण निर्णय पारित करा लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय होने वाला नुकसान कारित होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया

जिला कलक्टर, अलवर

जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी अनुपस्थित। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि छीतरमल पुत्र भगवान सहाय द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थी छीतरमल द्वारा लगाये गये आरोप मिथ्या एवं मनगढंत बिना किसी आधार के गलत तथ्यों पर दर्ज किये गये है। उक्त वाद वर्ष 2015 से अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट न्यायालय में विचाराधीन है। 183 बी की कार्यवाही एक संक्षिप्त विधिक कार्यवाही है। यह वाद गत 6 वर्षो से लम्बित हैं प्रार्थी के कथन अनुसार कोविड–19 महामारी 27.03.2020 के बाद सीधी तारीख पेशी 13.01.2022 नियत करदी, जबकी वास्तविक तथ्य यह है कि कोविड–19 महामारी के पश्चात न्यायालय कार्यवाही प्रारम्भ होने पर पक्षकारान को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई की तारीख 25.01.2022 नियत करते हुए विधिवत नोटिस जारी किये गये थे। जिस पर दोनो पक्षकाराना 25.01.2022 को न्यायालय में उपस्थित हुए। जिसमें अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर दी गई थी तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया। अंतिम अवसर देते हुए तारीख पेशी 01.02.2022 नियत की गई। यह वाद धारा 183 बी का संक्षिप्त वाद है जिसमें हल्का पटवारी व गिरदावर से पक्षकारान के समक्ष 31.12.2015 को मौका रिपोर्ट प्राप्त करली गई। जिस पर दोनो पक्षकारान के हस्ताक्षर है। वाद संक्षिप्त होने के कारण अन्य कोई साक्ष्य विगत 5 वर्षो से प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किये गये इस कारण पत्रावली वास्ते बहस नियत करदी गई। वाद 2015 से लम्बित है जिसमें 75 मरतबा तारीख पेशी पर पक्षकारान के वकुलाय उपस्थित आये किन्तु इनके द्वारा यदि कोई साक्ष्य होते तो प्रस्तुत कर दिये जाते किन्तु जानबूझकर वाद को अनावश्यक लंम्बित रखने की मंशा से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। पीठासीन अधिकारी किसी भी पक्षकारान के प्रभाव में नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड सेग्रीग्रेशन जमाबंदी से अप्रार्थी का मालिकाना हक है। फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार राजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण को साक्ष्य का अवसर देते हुए प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर